न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—201/2004

1. भगवानसिंह पुत्र टीकम..... मृतक।

1/1—सोनदेई पत्नि श्री भगवानसिंह		जाति लोधा (राजपूत)
1/2—गोपीचन्द	पिसरान	निवासी नगला लोधा
1/3—नेमीचन्द	भगवानसिंह	तह0 व जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. मिठठूसिंह	पिसरान भगवत जाति लोधा निवासी
2. प्रेमसिंह	नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—01.08.2018

वादीगण ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। वादी के बाप का नाम टीकम है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड में घूडे लिखा हुआ है जो वादी का बाबा है जबकि वादी के बाप का नाम टीकम है।

आराजी खसरा न0 614/0.75 वाके ग्राम नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। हाल खसरा न0 614/0.75 साविक खसरा नम्बरान 718/2.2, 719/3.3 से बने है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी मुतनाजा को वादी के पिता टीकम ने अंगद से वादी के पिता ने इस आराजी को लगान पर काश्त के लिये हमेशा हमेशा के लिये सम्बत 2012 से काश्त पर ली थी और वादी का पिता सम्बत 2013 से रेवेन्यू रिकोर्ड में बतौर शिकमी दर्ज चला आ रहा है दफा 19(1) सी.पी.सी. के द्वारा खातेदारी प्राप्त हो चुके है।

वादी के पिता के बाद इस आराजी पर वादी शिकामी दर्ज हुआ है और वादी के शिकमी के इन्द्राज सेटिलमेन्ट ने हटाये है जबकि सेटिलमेन्ट का किसी के इन्द्राज समाप्त करने का कोई अधिकार नही है बल्कि प्रीवियस इन्द्राज रिपीट करने का अधिकार है।

वादी का कब्जा 12 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। इसलिये वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.10. 2004 को वादी को वेदखल करने की धमकी दी है। अगर प्रतिवादीगण अपने कार्य में सफल हो गये तो वादी को एक असीम हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरे नकद से पूरी न हो सकेगी। वदी वजह वादी डिक्री हुक्म इम्तानाई दवामी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी करा पाने का मुश्तहक है कि प्रतिवादीगण दौराने दावा आराजी मुतनाजा को रहन बय व मुन्तकिल न करे और आराजी मुतनाजा किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नगला लोधा तहसील स्थित साविक ख.नं. 7/8 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा, 7/9 रकवा 3 बीघा 3 विस्वा से बने हाल ख.नं. 614/0.75 हैक्टर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी की बल्दियत घूड़े की जगह टीकम अंकित की जावे। प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई की डिक्री से पाबंद किया जावे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2059–2062, 2013, 2033–2036, 2022–2025, 2026–2029, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2043–2062 प्रस्तुत किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर दावा वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की। तत्पश्चात् वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू. 1 तथा रामखिलाडी पी. डब्लू. 2 पेश किये।

तदुपरान्त अभिभाषक वादी के बहस सुनने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2005 को इस प्रकार दावा वादी खारिज निर्णित किया गया कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम नोह की साविक है जबकि वादी ने ग्राम नगला लोधा के आराजी की खातेदारी चाही है और वादी ने न्यायालय का समय बर्वाद किया है।

न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2005 के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां अपील पेश की गई। माननीय आर.ए.ए. साहब द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.06.2009 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05. 2005 को अपास्त करते हुए पकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया निम्न बिन्दुओं पर विस्तुत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें–

1. टीकम भगवानसिंह का पिता है और घूड़े वादी का दादा है।
2. राज्य कसरकार की अधि सूचना प0 9(2) राज/ग्रुप.1/96 जयपुर दिनांक 09.05.1996 की अप्रमाणित प्रति जो अपीलान्ट द्वारा आर.ए.ए. भरतपुर में पेश की गई।

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर तहसीलदार भरतपुर से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट चाही गई। जो संलग्न पत्रावली है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नहीं है। वादी द्वारा ऐसी कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी भगवानसिंह टीकम का पुत्र है और घूड़े उसका बाबा है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना जिसकी अप्रमाणित प्रति मा0 राजस्व अपील प्रधिकारी महोदय भरतपुर के यहां पेश की, उसकी प्रमाणित इस न्यायालय में पेश नहीं की है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से दावा प्रमाणित नहीं होने से काबिल खारिज है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official